न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ0 सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 08 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 24.07.2017

जयनारायण पुत्र श्री बिलास जाति मीना निवासी भवंरसागर तहसील निवाई जिला टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–प्रभूलाल पुत्र प्रताबा जाति बलाई निवासी सीन्दरा तहसील निवाई जिला टोंक
2–गोरधन पुत्र प्रताबा जाति बलाई निवासी सीन्दरा तहसील निवाई जिला टोंक
3–किशन पुत्र प्रताबा जाति बलाई निवासी सीन्दरा तहसील निवाई जिला टोंक
4–भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

..... अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम चौधरी,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1
(3) श्री विक्रम जैन,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 3

निर्णय **दिनांक** 24.04.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.02.1983 को प्रतिपक्षी संख्या–1 ता. 3 क्रमशः प्रभलालू पुत्र प्रताबा,गोरधन पुत्र प्रताबा तथा किशन प्रताबा जाति बलाई को आ0ख0नं0 401 / 1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बडौदिया तहसील निवाई में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जवाब पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 404 / 1 का कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बड़ोदिया तहसील निवाई मे स्थित है,उक्त भूमि में से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.02.1983 को प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 को संयुक्त रूप से 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी,उक्त आवंटन की कार्यवाही में किसी तरीके से कोई अनियमितता नहीं की गई। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा

जिला कलेक्टर
टोंक

उक्त भूमि आवंटित करने के बाद उसका कब्जा प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 को सुपुर्दगी मे दिया गया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 उक्त आवंटित शुदा भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज चले आ रहे है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 द्वारा आवंटन नियमो की अवहेलना नहीं की है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 सम्पूर्ण आवंटित भूमि को काश्त कर उस पर फसल पैदा कर अपनी व अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे है। उक्त भूमि प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 के नाम आवंटित होने के बाद दिनांक 25.03.1983 को गैर खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक हुआ और उसके बाद उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 के नाम दर्ज किया गया, उक्त भूमि प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 की वर्तमान में खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 में सम्वत् 2073 में खरीफ की फसल में बाजरा व उड़द तथा रबी की फसल में गेंहूँ की फसल काश्त की है। आवेदक का उक्त भूमि से कोई सम्बंध नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर आवेदक काबिज काश्त है। उक्त भूमि पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा आवंटन से पूर्व से ही चला आ रहा था। प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 भूमिहीन काश्तकार थे। भूमि प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण माननीय न्यायालय को 14 (4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रकरण मे अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 404/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बडौदिया तहसील निवाई जिला टोंक स्थित है। भू आंवटन सलाहकार समिति द्वारा केम्प खिडगी मे दिंनाक 09.02.1983 को जरिये मिसल संख्या 1785/83 को प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 को उक्त भूमि का आवंटन किया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि को आवंटन करने से पूर्व कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई कि उक्त भूमि मौके पर खाली है अथवा नहीं, उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही आवेदक का कब्जा चला आ रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जो आवंटन किया गया है, उससे पूर्व आवेदक को कभी भी उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया और न ही उक्त भूमि को आवंटन करने बाबत कोई उदघोषणा जारी की गई और न ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उपयोगी व अनुउपयोगी भूमि की सूची तैयार करवायी गई और बिना विधिक प्रकिया अपनाये आवंटन करने का आदेश पारित किया है। आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। विपक्षीगण ने उक्त भूमि को आवंटन के पश्चात कभी काश्त नहीं किया है। जबकि आवंटन नियमों के अनुसार नियम 14 (3) के अनुसार प्रथम वर्ष में 1/50 भूमि एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त करना आवश्यक होता है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 काश्तकार पेशा व्यक्ति भी नही थे, बल्कि प्रतिपक्षी संख्या 1 ता. 3 का मुख्य व्यवसाय मजदूरी करना था। विपक्षीगण भूमिहीन कृषक भी

जिला कलेक्टर
टोंक

नहीं थे, आवंटन के समय उनके खाते में 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी, जिसका अंकन पटवारी हलका की रिपोर्ट 36 ए में स्पष्ट से अंकित होने के बाद भी भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आवंटन गलत रूप से किया है। अतः आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 को आ0ख0न0 401/1 मे रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बडौदिया मे नियमानुसार आवंटन की गई है तथा कब्जा सुपुदर्गी मे दिया गया था, तत्पश्चात् प्रतिपक्षीगण को खातेदारी अधिकार दिये गये है। खातेदारी मिलने के बाद 14(4) भू– आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन आदेश को चुनौती नही दी जा सकती है। आवंटित भूमि आवंटन के समय राजस्व रिकोर्ड मे राजकीय सिवायचक भूमि के रूप मे दर्ज थी। सिवायचक भूमि हमेशा रिक्त भूमि मानी जाती है। प्रार्थी ने अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये है। अतिक्रमी को कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है तथा वह हमेशा बेदखली का भागीदार ही माना जाता है तथा ऐसी भूमि पर आवंटन करने पर कोई पाबन्दी नहीं है। आवंटन आदेश की दिनांक को सलाहकार समिति के समक्ष कोई आवंटन का प्रार्थना पत्र विचाराधीन नही था। आवंटन में कानूनी रूप से कोई त्रृटि नही है। जिस भूमि का आवंटन प्रतिपक्षीगण के पक्ष मे किया गया है,वह उनको आवंटन का पात्र मानकर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई है। अतिक्रमी को किसी प्रकार का अधिकार या संरक्षण प्रदान नही किया जा सकता है। आवंटन केवल तीन बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जा सकता है यथा आवंटन छल–कपट द्वारा या मिथ्या सत्यापन से प्राप्त किया गया हो, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश नियमों के विपरीत जाकर पारित किया गया हो,आवंटी द्वारा किसी प्रकार आवंटन की शर्तों का उलघंन किया हो, इसके अलावा आवंटन आदेश को निरस्त नही किया जा सकता, आवंटन आदेश वर्ष 1983 का है तथा इतने पुराने आवंटन को अर्थात 42 वर्ष बाद जाकर निरस्त किया जाना न्यायहित मे नहीं है। आवंटित भूमि पर आवंटी का आवंटन की तिथी से लेकर आज दिनांक तक कब्जा काश्त है। प्रतिपक्षीगण पेशे से काश्तकार है तथा उनका जीवन यापन कृषि कार्य व कृषि पैदावार पर निर्भर है तथा भूमिहीन काश्तकार है,जिनके द्वारा छल–कपट तथा मिथ्या सत्यापन नही किया गया है। आवंटित भूमि प्रतिपक्षी की खातेदारी मे दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वंत 2070–2073 वाके ग्राम बडोदिया तहसील निवाई मे अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 ने क्रमशःसरसो,ज्वार,बाजरा व उडद की फसल काश्त की है।आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। प्रतिपक्षीगण के प्रत्येक के खाते मे 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी और प्रत्येक को आवंटन 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि हुई है। इस प्रकार आवंटन के समय प्रत्येक के खाते मे 16 बीघा भूमि नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी एंव अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थीगण प्रभू,गोरधन,किशन पुत्र प्रताब जाति बलाई निवासी सीन्दरा को भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनाक 9.02.1983 को केम्प खिडकी मे ख0न0 404/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बडोदिया मे आवंटन किया गया है। आवंटन के बाद उक्त भूमि दिनांक 18.02.1983 को आवंटी को सुपुर्दगी मे दी गई

जिला कलेक्टर
टोंक

है। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पर उनका कब्जा चला आ रहा है। कब्जा मात्र से भूमि पर कोई अधिकारिता सिद्व नही होती है। प्रार्थी ने आवंटन कमेटी के समक्ष भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार नही है। आवंटन के समय प्रत्येक आवंटी के हिस्से मे 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि किस्म चाह दर्ज थी, परन्तु राज.भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के बिन्दू संख्या–12 मे (इन नियमो मे यथा उपबन्धित के सिवाय,आवंटित की जाने वाली भूमि की सीमा) (4 हैक्टर) से अधिक नही होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी दशा मे इन नियमो के अधीन आवंटित किये जाने वाले कुल क्षेत्र, आवंटी द्वारा पहले से ही धारित क्षेत्र या उसके काल्पनिक अंश, यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यो द्वारा धारित हो, को मिला कर (4 हैक्टर) से अधिक नही होगा। (स्पष्ट्रीकरण–इस नियम मे एक (हैक्टर) सिचिंत भूमि को दो (हैक्टर) असिंचित भूमि के बराबर माना जायेगा)''का उल्लेख है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट (आवंटन पत्रावली पर) मे उक्त भूमि को बारानी बताया है। अभिभाषक प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजात यथा जमाबंदी आवंटन से पूर्व की आदि प्रस्तुत नही की है,जिससे यह साबित हो कि आवंटन के समय आवंटियो के पास 16 बीघा से अधिक भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो। आवंटित भूमि जमाबंदी सम्वत 2066–2069 वाके ग्राम बडोदिया मे अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वंत 2070–2073 वाके ग्राम बडोदिया तहसील निवाई मे अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 ने कमशःसरसो,ज्वार,बाजरा व उडद की फसल काश्त की है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है,जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता. 3 के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है,जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर प्रभू,गोरधन,किशन पुत्र प्रताब जाति बलाई निवासी सीन्दरा तहसील निवाई जिला टोंक को दिनांक 09.02.1983 को ग्राम बडोदिया की आराजी खसरा नम्बर 404/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक